तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
01/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आपपक्ष उप॰। पत्रावली वास्ते आदेश दि॰ 26/8/25 को पेश हो। [signature] 01/8/25	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आपपक्ष उप॰। पत्रावली वास्ते आदेश दि॰ 29/08/25 को पेश हो। [signature] 26/08/25	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा॰पत्र u/s 151 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। 2. अपी॰ प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय SDO पिड़ावा में एक suit u/s 188,209 RT Act सं॰ 506/2004 उनवान कल्याणसिंह बनाम पूरीलाल वगै॰ दायर किया था जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15/11/2007 से निर्णित किया था। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रार्थी कल्याणसिंह द्वारा माननीय RAA Kota के समक्ष अपील पेश की गई [illegible] RAA द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22/08/[illegible] से इस न्यायालय के निर्णय [illegible] को यथावत रखते हुए तहसीलदार पिड़ावा को 03 माह अपीलांट/प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	और अप्रार्थीगण / इनके पिता के द्वारा कथित निर्माण के विरुद्ध प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद (suit) दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिए। जब किसी प्रार्थी को सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के पर्याप्त एवं स्पष्ट कानूनी प्रावधान (विधि) उपलब्ध है तो फिर धारा-151 cpc के अधीन यह अनुतोष प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पास पर्याप्त alternative Remedy उपलब्ध है, अप्रार्थीगण द्वारा कोर्ट के विरुद्ध ना कोई fraud किया है, ना कोई mischief किया है, court process का abusement भी जाहिर नहीं होता है। धारा-151 cpc के अधीन कोर्ट द्वारा inherent power का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है – (i) जब चाहे गए अनुतोष (relief) के लिए The code of civil procedure 1908 या The Rajasthan Tenancy Act 1955 में कोई specific provisions अर्थात alternative Remedy exist नहीं करता हो (ii) To prevent the misuses or abuse of court process (iii) To address orders obtained by a party by fraud committed against the court itself (iv) To Secure the ends of justice in a case. धारा-151 cpc कोई "Universal remedy" नहीं है जिसे किसी भी [illegible] किया जा सके। [illegible] के लिए उपयोग करना विधि सम्मत नहीं है [illegible] court process का misuse or abuse बढ़ जायेगा। इस धारा उपयोग केवल विशेष स्थिति में उपयोग की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	किया गया था। प्रार्थी द्वारा पेश SDM पिडावा के आदेश u/s 107, 116(3), 151 CrPC दिनांक 15/6/2020, ~~क~~ संलग्न बयान प्रार्थी दिनांक 13/6/2020 एवं दर्ज परिवाद u/s 107/151 CrPC दिनांक 15/6/2020 के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी पर मकान निर्माण कार्य को लेकर उभयपक्षकारान में लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को 6 माह के लिए पाबंद किया।
	7. माननीय RAA एवं न्यायालय SDO पिडावा के निर्णयों के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि ग्राम पुरा की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 246 पर गौलाना से गौलाना सड़क पर सड़क के सहारे वर्ष 2004 से पूर्व के कच्ची टापरिया एवं पशु-बाड़ा बने हुए ~~थे~~ थे (निर्णय दिनांक 15/11/2007 की तनकी 2 का निर्णय)। अतः गौलाना से गौलाना सड़क पर सड़क के सहारे लई कच्ची टापरियां व पशु बाड़ा निर्माण/वर्ष 2004 से पूर्व से ही बना होना जाहिर होता है। ये टापरियां व बाड़े किसके हैं - यह स्पष्टतः पत्रावली पर नहीं है। TDR पिडावा की मौका रिपोर्ट दिनांक 28/5/2020 व 01/6/2020 तथा इस्तगासा u/s 107/151 CrPC दिनांक 15/6/2020 के [illegible] है कि अप्रार्थीगण एवं इनके पिता मांगीलाल [illegible] द्वारा वर्ष 2020 में प्रार्थी [illegible] वादग्रस्त आराजी ख0नं0 246 पर मकान की नींव [illegible] शुरू किया था जो माननीय RAA Kota के निर्णय दिनांक 22/08/2008 से करीब 11-12 वर्ष बाद का है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म ... में	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की जानी चाहिऐ।

5. माननीय RAA कोटा मे पेश अपील सं० 73/2008 एवं इस न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा दर्ज प्रकरण सं० 506/2004 मे कुल 04 प्रतिवादीगण - पूरीलाल, इन्द्रलाल, रामलाल पिसरान नंदा जाति बागरी एवं तहसीलदार पिड़ावा थे लेकिन हस्तगत प्रकरण सं० 42/2021 u/s 151 cpc के कुल 05 अप्रार्थीगण मे से TDR पिड़ावा को छोड़कर अन्य कोई भी पूर्व के उक्त प्रकरणो मे पक्षकार नही था अत: हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी क्रम 1 से 4 पर न्यायालय SDO pidawa एवं न्यायालय RAA Kota के उक्त निर्णयो (decision/judgements) लागू नही होगे अर्थात प्रभावी या बाध्यकारी नही थे (ना ही प्रार्थी द्वारा कोई ऐसी इकरार पेश की गई है)

6. पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के unmarked प्रा० पत्र दिनांक 29/5/2020 मे प्रार्थी ने पूरीलाल, इन्द्रमल, रामलाल पिसरान नंदा बागरी के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाह कर अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पिता हरिया बागरी नि० गैलाना के मकान निर्माण को रोकने एवं पैमाईश का अनुतोष चाहा गया था। पत्रावली मे पेश TDR पिड़ावा की मौका रिपोर्ट दिनांक 28/5/2020 एवं 01/6/2020 की photo copies के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पुरा की प्रार्थी की आराजी ख०नं० 246 पर अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पिता हरिया [illegible] द्वारा 35x11 वर्ग फीट मे पक्का [illegible] जिसमे मांगीलाल [illegible] (अप्रार्थी 2) तूफानसिंह को [illegible] सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण नही करने हेतु पाबंद किया गया था। दिनांक 28/5/20 को स्वयं मांगीलाल बागरी को कोई निर्माण नही करने हेतु पाबंद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्मनामा मे
	करने वाले प्रार्थीगण - पुरीलाल, इन्द्रलाल, रामलाल पिसराम मेंडा जाति बागरी के विरुद्ध वर्ष 2004 मे वाद सं0 506/2004 पेश किया था जिसमें उभय पक्षों को सुन कर इस न्यायालय द्वारा judgment & decree dt 15/11/2007 से प्रतिवादीगण के अन्दर क्लेम को खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत तथा निर्माण नहीं करने जारी की गई थी। माननीय RAA कोटा के अपील सं0 73/2008 कल्याणसिंह बनाम पुरीलाल व अन्य मे दिये गये निर्णय दिनांक 22/08/2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ कोर्ट के निर्णय व डिक्री दिनांक 15/11/2007 को यथावत रखते हुऐ TDR पिड़ावा को वादग्रस्त भूमि का 03 माह मे सीमाज्ञान करने का आदेश दिया गया था। यह भी साबित है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी पिड़ावा एवं माननीय अपीलीय न्यायालय (RAA) कोटा मे तहसीलदार पिड़ावा पक्षकार था अत: माननीय RAA के आदेश की पालना के लिये TDR पिड़ावा कानूनी रूप से स्वत: ही बाध्य था लेकिन इस प्रकरण मे ना तो तहसीलदार पिड़ावा द्वारा RAA कोटा के आदेश की पालना मे वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 246 का 10 वर्षों तक सीमाज्ञान कराने का साक्ष्य पेश किया है और ना ही किसी पक्षकार द्वारा ऐसा साक्ष्य पेश किया है। TDR पिड़ावा द्वारा माननीय RAA [illegible] के [illegible] को 03 माह मे ही नहीं [illegible] नहीं करना, न्यायालय के आदेश की [illegible] की गई गंभीर अवहेलना (serious disobedience done intentionally) है जिसके विरुद्ध प्रार्थी को माननीय RAA Kota के समक्ष आवश्यक कार्यवाही	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	किसी भी न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। प्रार्थी को, यदि न्यायालय SDO पिडावा के आदेश की पालना नहीं हुई तो इजराय पेश करनी चाहिए थी, ना कि धारा 151 cpc का प्रा०पत्र। इस कोर्ट का आदेश 12 वर्षों से अधिक पुराना है जिसका अब कोई कानूनी महत्व शेष नहीं है। यदि TDR पिडावा ने माननीय RAA कोटा के आदेश की पालना नहीं की है तो माननीय RAA को TDR पिडावा के विरुद्ध Contempt of court की कार्यवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं की है। आगे तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी हेतु लो भी विगत 60-70 वर्षों से बागरी समाज के करीब 25 परिवार उस पर मकान बना रहे है अतः सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना इनको बेदखल नहीं किया जावे। अप्रार्थी 1 से 3 ने पुनः तर्क किया कि धारा-151 cpc के अधीन ना तो सीमाज्ञान के आदेश दिये जा सकते है और ना ही अवैध अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रार्थी को u/s 183 RT Act में दावा पेश करना चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र खारिज फरमाया जावे। 4. बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय SDO पिडावा के निर्णय [illegible] दि० 15/11/2007 u/s 188, 209 RT Act [illegible] से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी कल्याणसिंह द्वारा अपने खाते व कब्जे की भूमि - ग्राम पुरा तहसील पिडावा ख०न० 246 रकबा 0-12 बीघा पर जबरन अतिक्रमण	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मानने के आदेश डिक्री किये थे लेकिन TDR पिडावा द्वारा, बार-बार निवेदन पर भी, कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई। जब अप्रार्थीगण द्वारा बिना सीमाज्ञान के प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पर मकान निर्माण करने लगे तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 26/05/2020 को TDR पिडावा को सीमाज्ञान कर निर्माण रोकने का आवेदन किया था तो TDR पिडावा ने सीमाज्ञान कर मौका रिपोर्ट Dt. 28/5/2020 मगवाई थी जिसमे प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ पाया गया था जिसपर NTDR द्वारा कार्यवाई कर दिनांक 01/06/2020 को रुकवाया गया फिर भी निर्माण कार्य कुछ दिन बाद पुनः शुरू कर दिया तो प्रार्थी द्वारा थाना पिडावा मे रिपोर्ट कराई थी जिस पर SHO पिडावा द्वारा u/s 107, 151 CrPC मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाई करी थी। अधि० प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया था कि इस court द्वारा अपने orders decree Dt 15/11/2007 से अप्रार्थीगण को permanent injunction द्वारा पाबंद किया था लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय के आदेश की पालना कराई जावे और माननीय RAA के आदेश की पालना मे TDR पिडावा को वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान कर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये जावे।
	3. अधि० अप्रार्थी क्रम 1 से 3 ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 से 3 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी को लेकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जा सकती है। धारा 151 cpc किसी पक्षकार को substantive rights प्रदान नहीं करती है, बल्कि कानूनी प्रावधानों के अभाव में उत्पन्न किसी दुविधा/समस्या का न्यायहित में समाधान करने के उद्देश्य से है [प्रार्थी SDO court के निर्णय की 12 वर्षों तक "पालना हेतु इजराय" पेश नहीं की] 8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 151 cpc आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। TDR पिड़ावा को आदेश दिया जाता है प्रार्थी की भूमि (ग्राम पुरा) ख० नं० 246 का राजस्व टीम से नियमानुसार सीमाज्ञान करावे। प्रार्थी अवैध अतिक्रमण, यदि कोई है, हटाने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ 22/08/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner